Land Use and Land Conversion

NRO-1-2473419611.......

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0 80/2013

अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
ग्राम– पीरू परगना व तहसील पुवायाँ
जिला शाहजहाँपुरं।

विवेक कुमार गुप्ता बनाम सरकार

[illegible] निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री विवेक कुमार गुप्ता पुत्र मुनेश्वर दयाल निवासी मो0 शास्त्री नगर कालोनी,मुल्ला खेल तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर के प्रार्थना पत्र दिनॉक–20.08.2013 व सहखातेदार राजेश कुमार,नीलेश कुमार,वीरेश कुमार पुत्रगण हरीराम व श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी हरीराम का सहमति शपथ पत्र दिनांक 27.08.13 प्रस्तुत करके उल्लेख किया है कि पीरू की गाटा संख्या 260 रकबा 2.331हे0 में से 0.809हे0 प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है भूमि पर कृषि कार्य न होकर आबादी के प्रयोजन में लाई जा रही है, जिसे धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी आख्या दिनॉक–27.08.2013 में उल्लेख किया है राजस्व अभिलेख ग्राम पीरू परगना वड़ागांव तहसील पुवायां शाहजहांपुर की खाता संख्या 84 पर गाटा संख्या 260 रकबा 2.331हे0 में से 0.809हे0 श्रेणी–1क के प्रावधानों के अन्तर्गत शाहजहांपुर एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी 74 शास्त्रीनगर कालोनी,मो0 मुल्ला खेल तहसील सदर द्वारा अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता पुत्र मुनेश्वर दयाल निवासी 74 शास्त्रीनगर कालोनी,मुल्ला खेल तहसील सदर शाहजहांपुर के नाम अंकित है। जिस पर कृषि कार्य,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है,भूमि एजूकेशनल संस्था हेतु प्रस्तावित है। भूमि को धारा 143 जे0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत लगान मुक्त घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार पुवायां द्वारा आख्या के साथ उद्धरण खतौनी ग्राम पीरू परगना वड़ागांव फसली वर्ष 1417–1422, खसरा 1420 फसली,नजरी नक्शा लेखपाल दिनांक 18.08.13 प्रस्तुत किया गया।

मैने पत्रावली पर रक्षित ग्राह्य साक्ष्यों व तहसीलदार पुवायॉ की आख्या दिनॉक–27.08.13 का सम्यक अवलोकन/परिशीलन किया। अवलोकन करने से विदित है कि ग्राम पीरू परगना वड़ागांव तहसील पुवायां शाहजहांपुर की खाता संख्या 84 पर गाटा संख्या 260 रकबा 2.331हे0 में से 0.809हे0 पर कृषि अथवा कृषि से संबंधित अन्य कार्य नहीं हो रहा है और भूमि एजूकेशनल संस्था हेतु प्रस्तावित है और मौके पर खाली है। जिसको कृषक भूमि से अकृषक भूमि घोषित कर लगान मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एव तहसीलदार पुवायॉ की आख्या दिनॉक–27.08.13 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है कि :–

आदेश

ग्राम पीरू परगना वड़ागांव तहसील पुवायां शाहजहांपुर की खाता संख्या 84 पर गाटा संख्या 260 रकबा 2.331हे0 में से 0.809हे0 मालगुजारी 60ख के अनुसार को अकृषक भूमि घोषित कर लगान मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति अमल दरामद हेतु तहसीलदार पुवायॉ व उपनिबंधक पुवायॉ को पंजीकरण हेतु भेजी जाए बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 20 अगस्त 2013

(लाल बहादुर)
असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायॉ शाहजहॉपुर

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित